दिनांक 18.06.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ भिलाई निगम के महापौर परिषद् की बैठक में महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव ने कहा कि आगामी दो माह के भीतर भिलाई शहर को पाॅलीथीन कैरीबैग से मुक्त शहर बनाना है जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी कार्य योजना बनाकर आगामी एमआईसी की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार लोक सेवा से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों के वितरण हेतु भिलाई निगम एक्सप्रेस सर्विस सेंन्टर की स्थापना के संदर्भ में भी एमआईसी में विचार विमर्श किया गया। महापौर परिषद् की बैठक पूर्व निर्धारित समयानुसार प्रातः 11 बजे महापौर कक्ष में महापौर देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता एवं आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी की उपस्थिति में प्रारम्भ हुई जिसमें विभिन्न विभागों से प्राप्त 9 प्रस्तावों पर क्रमशः उपस्थित सदस्यों ने विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 के अंतर्गत उप विधि 2018 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 विषय पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा कि उक्त विषय जुर्माना अधिरोपण के संबंध में है अतः इस पर विस्तृत चर्चा किये जाने हेतु सामान्य सभा में प्रेषित किया जाना उचित होगा। इसी बीच महापौर ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त किया कि शहर की सुन्दरता का सबसे बड़ा दुश्मन शहर में बेतरतीब बिखरे प्लास्टिक कैरीबैग हैं निगम द्वारा समय-समय पर प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तो चलाया जा रहा है लेकिन इसके बाद भी भरपूर मात्रा में प्लास्टिक कैरीबैग शहर में देखें जा सकते हैं। उन्होने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी महापौर परिषद् की बैठक में प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे महापौर ने नागरिकों से भी शहर को सन्दर और पालीथीन मुक्त बनाने के लिए निगम के
वेबसाईट nigam_bhilai@yahoo.co.in में सुझाव आमंत्रित किये हैं। कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विषय निगम द्वारा दी जाने वाली विभिन्न नागरिक सुविधाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु एक्सप्रेस सर्विस सेन्टर स्थापना जिसके माध्यम से नागरिक सुविधाओं के जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र , विवाह प्रमाण-पत्र, ट्रेड लायसेंस, नल कनेक्शन, दुकान स्थापना, व्यापार अनुज्ञप्ति (गोमास्ता) आदि प्रमाण-पत्र नागरिकों को त्वरित प्राप्त हो इस हेतु एक्सप्रेस सर्विस सेन्टर की स्थापना के साथ ही यह प्रमाण-पत्र 24 घण्टे में नागरिकों को प्राप्त होगा जो स्मार्ट भिलाई एप में उपलब्ध रहेगा जिसे नागरिक पीडीएफ में अपलोड करके प्रिन्ट निकालकर प्राप्त कर सकेंगे जो प्रारम्भिक स्टेज पर है प्रक्रिया पूर्ण होने पर नागरिकों की सुविधा के प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
एजेण्डे में प्रस्तुत तीन प्रस्ताव थर्ड जेण्डर हेतु सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार , श्री दिगम्बर जैन मंदिर नेहरु नगर के सामने उद्यान का सौन्दर्यीकरण, होजरी मार्केट सुपेला में मुख्य द्वार निर्माण के विषय पर महापौर परिषद् की सदस्यों ने ड्राईंग डिजाईन के साथ पूर्ण कार्य योजना तैयार कर पुनः बैठक में रखने की अनुशंसा की है। निगम में कार्यरत् प्लेसमेंट कम्प्यूटर आॅपरेटर से कार्य कराये जाने के स्वीकृति के संबंध में विचार पश्चात् कहा कि निगम द्वारा 48 कम्प्यूटर आॅपरेटरों की

पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है जिसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में निगम द्वारा आॅपरेटरों को पारिश्रमिक भुगतान अधिकतम् दो माह किये जाने की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विषय जैव चिकित्सा अपशिष्ट की संयुक्त उपचार व्यवस्था हेतु ग्राम सेमरिया की भूमि ई-टेक प्रायवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराने के संबंध में महापौर श्री यादव ने कहा कि उक्त कार्य प्रणाली का प्रेजेन्टेशन तैयार कर सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि इस पर ठोस निर्णय लिया जा सके। बैठक में महापौर परिषद् के सदस्य नीरज पाल , लक्ष्मीपति राजू, डाॅ. दीवाकर भारती, श्रीमती सुभद्रा सिंह, दुर्गा प्रसाद साहू, सूर्यकान्त सिन्हा, साकेत चन्द्राकर, श्रीमती सुशीला देवांगन , सुश्री सोसन लोगन , सदीरन बानों, नरेश कोठारी, सहित अधीक्षण अभियंता आर.के. साहू , सत्येन्द्र सिंह, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, टी.पी. लहरे, सहित सभी जोन के जोनआयुक्त , एवं विभाग प्रमुख उपस्थित थे। एजेण्डा का वाचन सचिव जीवन वर्मा ने किया।

जनसम्पर्क अधिकारी

जल है तो कल है, जल ही जीवन है